PRS

संसदीय कार्य प्रणाली- एक मार्गदर्शिका

राज्यसभा

अनली दत्ता चौधरी
तन्वी विप्रा

जून 2024

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सांसद की भूमिका

संसद के सदस्य (सांसद) भारत की जनता की आशा और अभिलाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद के कामकाज का असर नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह स्वामित्व, परिवहन एवं सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ता है।

राज्यसभा के सदस्यों की भूमिका, लोकसभा सदस्यों से थोड़ी अलग होती है। वे देश को शासित करने वाले कानूनों पर बहस करते हैं और उन्हें पारित करते हैं लेकिन मनी बिल का मामला अलग होता है। राज्यसभा सांसद मनी बिल पर सिर्फ अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन इन सुझावों की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती। वे प्रश्न पूछकर, तथा चर्चा के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण मामले उठाकर सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। लेकिन वे मतदान के जरिए सरकार हटा नहीं सकते, और न ही बजट पर चर्चा कर सकते हैं एवं उसे पारित कर सकते हैं। वे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते; हालांकि वे प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मामले उठा सकते हैं।

राज्यसभा सांसदों की सभी भूमिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं, और किसी सामान्य दिन, किसी सांसद को इन भूमिकाओं को निभाने के दौरान इनमें एक या उससे अधिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ सकता है।

सांसद संसद में अपने कार्यों को सदन के सौध के अलावा संसदीय समितियों के जरिए संपन्न करते हैं। सदन में वे प्रश्न पूछते हैं, और सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाते हैं, तथा उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे सरकार की ओर से शुरू की गई बहस और चर्चाओं में हिस्सा भी लेते हैं। एक सांसद कानून और संकल्प भी पेश कर सकता है (जिसे गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज कहा जाता है)। समितियों में सांसद महत्वपूर्ण विषयगत मामलों पर गहनता से चर्चा करते हैं, विशेषज्ञों के विचार आमंत्रित करते हैं, और विभिन्न नीतिगत मामलों पर किसी भी राजनैतिक दल की विचारधारा से ऊपर उठकर, आम सहमति कायम करने का प्रयास करते हैं।

राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया के कुछ नियम हैं और उन्हीं के अनुसार सांसदों को पहल करनी होती है। यह प्राइमर सदन की कार्यप्रणाली को समझने में राज्यसभा के नव निर्वाचित सांसदों की मदद करेगा ताकि वे अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभा सकें।

राज्यसभा: एक अवलोकन

भारत के उप राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य अपने बीच से एक उप सभापति निर्वाचित करते हैं। जब सभापति और उप सभापति, दोनों मौजूद नहीं होते तो सदन की अध्यक्षता उप सभापति पैनल के सदस्यों द्वारा की जाती है। इस पैनल में राज्यसभा के छह सदस्य होते हैं और उन्हें समय-समय पर सभापति द्वारा नामित किया जाता है।

सदन में भागीदारी

सदन में सदस्य व्यापक रूप से दो तरीकों से भाग लेते हैं। कई बार सांसद स्वतंत्र रूप से किसी मुद्दे को उठाते हैं। इनमें प्रश्नकाल, शून्य काल या गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज शामिल हैं। इन मामलों को मतदान के माध्यम से या सभापति के विवेक के आधार पर चर्चा के लिए चुना जाता है।

अन्य कार्यवाहियों जैसे बहस, सरकारी बिल्स और बजट पर सांसद अपने राजनैतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेते हैं। सभापति प्रत्येक दल को बोलने के लिए समय देते हैं, और पार्टी नेतृत्व तय करता है कि उस कार्यवाही में कौन भाग लेगा।

सदन की **कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमिटी)** सदन में कामकाज के लिए समय आवंटित करने का सुझाव देती है। इस समिति में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों के भी सदस्य होते हैं।

राज्यसभा में एक सामान्य दिन

राज्यसभा में सुबह 11 बजे से काम शुरू होता है और सामान्य तौर पर वह शाम 6 बजे तक काम करती है। दिन का पहला भाग सांसदों के लिए मुद्दे उठाने और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित है। दूसरे भाग में आम तौर पर सरकारी कामकाज निपटाए जाते हैं। इसमें बिल्स, बजट पर चर्चा या लंबी बहस शामिल है। प्रत्येक सप्ताह आधा दिन (आमतौर पर शुक्रवार का आधा दिन) गैर सरकारी सदस्यों के बिल्स और संकल्पों के लिए निर्धारित है जिसे गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज कहा जाता है।

रेखाचित्र 1: राज्यसभा में एक सामान्य दिन

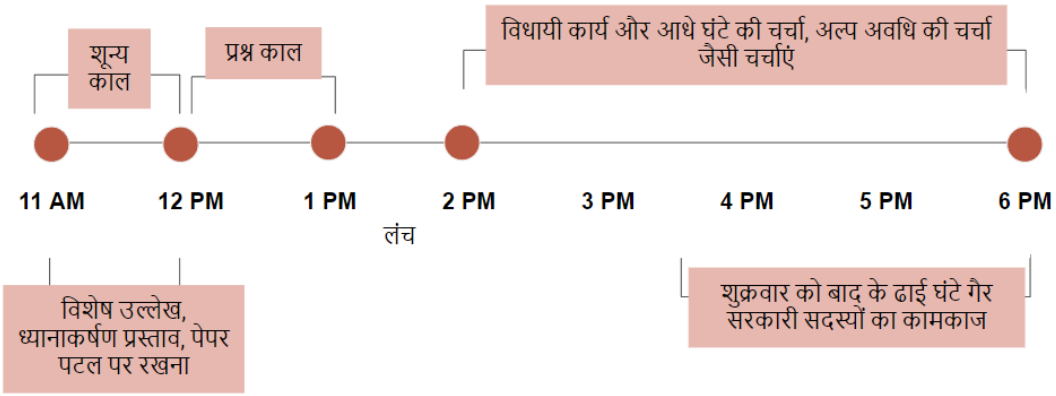

सदन की कार्यवाही

सदन की कार्यवाही, उसकी कार्य प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्देशित होती है। इन नियमों के अनुसार सदस्यों को प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने, बहस शुरू करने या उसमें भाग लेने के लिए सचिवालय/सभापति को पूर्व सूचना देनी होती है। इसे "नोटिस देना" कहा जाता है। प्रत्येक पहल की एक अलग नोटिस अवधि होती है। यह सूचना मैन्युअली या सदस्य के ई-पोर्टल का उपयोग करके डिजिटल रूप से दी जा सकती है।

कुछ मामलों में सभापति अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी सांसद को अल्प सूचना पर सार्वजनिक महत्व का मामला उठाने की अनुमति देने की स्वतंत्रता सभापति के पास है।

सदन में निर्णय-निर्धारण

सदन में सभी निर्णय प्रस्तावों के रूप में पेश किए जाते हैं जिन्हें सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। आम तौर पर मतदान मौखिक रूप से किया जाता है जिसमें प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य "हां" (aye) कहते हैं और जो प्रस्ताव का विरोध करते हैं, वे "नहीं" (no) कहते हैं। अगर सभापति को लगता है कि अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि अगर कोई सदस्य सभापति के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह सभापति से रिकॉर्डेड वोट कराने के लिए कह सकता है, जिसे मत विभाजन (डिविजन) कहा जाता है। एक बार जब यह मांग उठाई जाती है, तो सभापति को मत विभाजन करना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य का वोट दर्ज किया जाता है।

महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज

कार्यसूची: किसी निश्चित दिन पर किए जाने वाले कामकाज का शेड्यूल और आइटम। इसे सदस्यों को दो दिन पहले सर्कुलेट किया जाता है।

संशोधित कार्यसूची: संशोधित शेड्यूल, इसे आम तौर पर सदन की बैठक के एक दिन पहले सर्कुलेट किया जाता है।

अनुपूरक कार्यसूची: उसी दिन के कामकाज के अतिरिक्त आइटम्स की सूची। यह बैठक के दिन उपलब्ध कराई जाती है।

बुलेटिन 1: सदन की प्रत्येक बैठक में हुई कार्यवाही का संक्षिप्त रिकार्ड। इसे प्रत्येक दिन की बैठक के बाद प्रकाशित किया जाता है।

बुलेटिन 2: इसमें सदन के कामकाज से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी होती है, जैसे कि बिल को समिति को भेजना, समिति के सदस्यों में कोई बदलाव और प्रोटोकॉल से संबंधित मामले। जब भी इसे प्रकाशित किया जाता है तो इसे सदस्यों को सर्कुलेट किया जाता है।

सदन में भागीदारी

सरकारी निगरानी

प्रस्तावना

संसदीय लोकतंत्र में सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद सदस्यों के पास सरकार के कामकाज की जांच करने के कई तरीके हैं। इनमें सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करना, कानूनों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना तथा सरकारी धनराशि के व्यय को मंजूरी देना शामिल है। इस खंड में हम कुछ प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका सांसद सदन में उपयोग कर सकते हैं।

प्रश्न पूछना

इस खंड में बताया गया है कि सांसद अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किन विभिन्न तरीकों से प्रश्न पूछकर सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

संसदीय प्रश्न

राज्यसभा में प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे प्रश्न काल शुरू होता है। सदस्य सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए प्रश्नकाल का उपयोग करते हैं। वे महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार से प्रतिक्रिया मांगने के लिए भी प्रश्नकाल का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से उसके मंत्रालय के दायरे में आने वाले कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न तीन अलग-अलग प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न।

तारांकित प्रश्न: प्रभारी मंत्री द्वारा इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है। सांसद पूरक (या अनुवर्ती) प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न: मंत्रालय द्वारा इनका लिखित उत्तर दिया जाता है।

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को दाखिल करने के नोटिस का प्रारूप एक समान है, हालांकि तारांकित प्रश्नों को तारांकन (तारे के चिन्ह) द्वारा चिन्हित किया जाता है।

तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न के बीच चयन

तारांकित प्रश्न राष्ट्रीय मुद्दों और उस पर सरकारी नीति के बारे में जानने का बेहतर तरीका है क्योंकि इनके जरिए सदस्य अनुवर्ती (या पूरक) प्रश्न पूछकर आगे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मंत्री के उत्तर के बाद सांसद अधिकतम दो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सभापति उपस्थित अन्य सांसदों को भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न पर अनुवर्ती प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसलिए इनके जरिए आंकड़ों या सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हासिल किए जा सकते हैं।

पूरक प्रश्नों की तैयारी

आमतौर पर, चूंकि एक दिन के लिए सूचीबद्ध पहले 5-6 प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकाल के लिए आवंटित एक घंटे में दिए जाते हैं इसलिए पूरक प्रश्न पूछने की तैयारी करते समय पहले कुछ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर हो सकता है। प्रश्नों की सूची पांच दिन पहले उपलब्ध होती है और तारांकित प्रश्नों के उत्तर उस दिन सुबह 10:30 बजे उपलब्ध कराए जाते हैं जिस दिन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।

उदाहरण: फरवरी 2024 में एक सांसद ने फार्मास्युटिकल निर्यात की स्थिति से संबंधित एक **तारांकित प्रश्न** पूछा। मंत्री ने पिछले तीन वर्षों में फार्मा निर्यात में वृद्धि का संकेत देने वाले आंकड़े दिए और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहल पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद सांसद ने एक **पूरक प्रश्न** पूछा कि फार्मास्युटिकल पीएलआई योजना ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र के क्षमता उपयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता को कैसे बढ़ाया है।

सदस्यों ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों, आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों, विभिन्न राज्यों द्वारा एकत्र बजटेतर उधार की राशि और छात्राओं के नामांकन पर सीयूईटी के प्रभाव जैसे मुद्दों के लिए **अतारांकित प्रश्नों** का उपयोग किया है।

अल्प सूचना प्रश्न: सांसद ऐसे सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामलों पर सरकार से अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनके लिए 15 दिनों की निर्धारित नोटिस अवधि बहुत लंबी हो सकती है। तारांकित प्रश्नों की तरह, अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वीकृत प्रश्न आमतौर पर प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद लिए जाते हैं। वैसे अल्प सूचना प्रश्नों का उपयोग कभी-कभी ही किया गया है।

उदाहरण: नवंबर 2014 में एक सदस्य ने सवाल किया कि क्या युद्ध छिड़ने की स्थिति में सरकार के पास पेट्रोलियम के पर्याप्त रणनीतिक भंडार हैं। मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार तीन राज्यों में 5.3 मिलियन मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ कच्चे तेल के भंडार स्थापित करने की प्रक्रिया में है। सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार सभी राज्यों में रणनीतिक रिजर्व बनाने की योजना बना रही है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

पहल	नोटिस की अवधि	प्रति सांसद सीमा	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
तारांकित प्रश्न (नियम 42)	15 दिन	प्रति दिन एक	तारे का निशान प्रति दिन कुल 15 की अनुमति	बैलेट
अतारांकित प्रश्न (नियम 51ए)	15 दिन	प्रति दिन पांच (चार, अगर एक तारांकित प्रश्न भी पूछा जाता है)	प्रति दिन कुल 160 की अनुमति	बैलेट
अल्प सूचना प्रश्न (नियम 58)	15 दिन से कम	-	मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए, नोटिस के साथ अल्प सूचना का कारण भी संलग्न होना चाहिए	सभापति के विवेकाधीन

मुद्दे उठाने के लिए बहस और प्रस्तावों का प्रयोग

सरकार को जवाबदेह ठहराने या विभिन्न मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सांसद सदन में विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं और उन पर बहस कर सकते हैं। इनमें से कुछ मुद्दों को प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जाता है और सदन में उन पर मतदान किया जाता है। सदन बिना मतदान के भी मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। मुद्दे सांसदों द्वारा अपनी पहल पर उठाए जा सकते हैं या कार्य मंत्रणा समिति द्वारा चिन्हित किए जा सकते हैं। समिति द्वारा चिन्हित किए जाने की स्थिति में राजनीतिक दल तय करते हैं कि कौन से सांसद इस चर्चा में भाग लेंगे।

हम चर्चा कर रहे हैं कि सांसद किन विभिन्न तरीकों से मुद्दों को उठा सकते हैं।

शून्य काल

राज्यसभा में शून्य काल से दिन शुरू होता है। इस अवधि का उपयोग आमतौर पर उन मामलों को उठाने के लिए किया जाता है जो अत्यावश्यक हैं और अन्य प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक नोटिस अवधि का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान की प्रस्तुतियां विशेष रूप से किसी नियम के तहत सूचीबद्ध नहीं होतीं, लेकिन सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामलों के रूप में एजेंडा में दिखाई देती हैं।

उदाहरण: सांसदों ने प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की कमी, केरल में धान की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं और ग्रामीण ओड़िशा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से संबंधित मामले उठाए हैं।

पहल	नोटिस की अवधि	प्रति सांसद सीमा	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले	सुबह 10 बजे से पहले	हर हफ्ते एक प्रस्तुति	सभापति को नोटिस	सभापति के विवेकाधीन

सदन के पटल पर पेपर रखना: शून्य काल की शुरुआत में मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय समितियों की रिपोर्ट और सरकारी अधिसूचना जैसे कागजात सदन के पटल पर रखे जाते हैं। ये रिपोर्ट्स सदन में पेश होने के बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाती हैं।

ध्यानाकर्षण

कोई भी सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिस पर मंत्री उत्तर देते हैं।

उदाहरण: जुलाई 2018 में एक सदस्य ने आईटी मंत्री का ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों के प्रसार और ऐसी अफवाहों के परिणामस्वरूप होने वाली मॉब लिंचिंग की ओर आकर्षित किया। मंत्री ने बयान दिया जिसमें उन्होंने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और देश की स्थिरता को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग में निर्दोष लोगों की जान गई। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने व्हाट्सएप को एक नोटिस जारी किया, जिसके बाद व्हाट्सएप ने सूचना के प्रचार-प्रसार में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। मंत्री ने सदन से कहा कि व्हाट्सएप ने सरकार को सूचित किया है कि वह लोगों को अधिक जानकार बनाने के लिए फैक्ट चेकिंग और न्यूज़ वैरिफिकेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा। सरकार ने व्हाट्सएप से इस समस्या के समाधान के लिए बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाने को कहा।

पहल	नोटिस की अवधि	प्रति सांसद सीमा	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
ध्यानाकर्षण (नियम 180)	सुबह 10:30 से पहले	प्रत्येक बैठक में दो प्रस्तुतियां	जो नोटिस दिए गए हैं, वे हफ्ते के अंत तक वैध रहेंगे वक्तव्य आने पर उस पर कोई बहस नहीं होगी	बीएसी की सलाह के बाद सभापति द्वारा

विशेष उल्लेख

जो मामले प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण आदि से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें नियम 180ए के तहत उठाया जा सकता है।

उदाहरण: बिजली की उच्च मांग के दौरान कोयले पर निर्भरता, उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलें, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और केरल के कुट्टनाड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या जैसे मुद्दों को विशेष उल्लेख के रूप में उठाया गया है।

पहल	नोटिस की अवधि	प्रति सांसद सीमा	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
विशेष उल्लेख (नियम 180ए)	एक दिन पहले शाम 5 बजे	प्रत्येक बैठक में 2 नोटिस	नोटिस का टेक्स्ट 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए नोटिस हफ्ते के आखिर तक वैध रहता है	सभापति के विवेकाधीन

आधे घंटे की चर्चा

अगर किसी सांसद को लगता है कि किसी तारांकित या अतारांकित प्रश्न के उत्तर में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह आधे घंटे की चर्चा शुरू कर सकता है। इस चर्चा के तहत एक सांसद को सदन में एक संक्षिप्त बयान देने की अनुमति होती है। संबंधित मंत्री उत्तर देते हैं। मंत्री के उत्तर के बाद अधिकतम चार अन्य सांसद आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई मतदान या औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता है।

उदाहरण: इस पहल को कभी-कभार ही स्वीकार किया जाता है। 2019 में स्वच्छ गंगा अभियान और बिजली उत्पादन में इसके उपयोग पर आधे घंटे की चर्चा हुई। 2016 में उत्तर प्रदेश में गांवों के बिजलीकरण पर चर्चा हुई थी।

पहल	नोटिस की अवधि	प्रति सांसद सीमा	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
आधे घंटे की चर्चा (नियम 60)	3 दिन पहले	प्रति सप्ताह एक	नोटिस के साथ इस चर्चा को उठाने का कारण और साथ ही कम से कम दो सांसदों के हस्ताक्षर संलग्न होने चाहिए	सभापति के विवेकाधीन

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

कोई भी सांसद, जो मंत्री नहीं है, सरकार के किसी कार्य या नीति पर सुझाव, अपनी राय की घोषणा, स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में संकल्प पेश कर सकता है। इसका उपयोग किसी महत्वपूर्ण मामले को सरकार के ध्यान में लाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे संकल्पों को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प कहा जाता है। संकल्पों पर मतदान के जरिए सदन की राय व्यक्त होती है। एक शुक्रवार को आखिरी ढाई घंटे में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाते हैं, तो अगले शुक्रवार को आखिरी ढाई घंटे के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के बिल पेश किए जाते हैं।

उदाहरण: शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी पर एक गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव पर 2020 में राज्यसभा में चर्चा की गई। प्रस्ताव में आग्रह किया गया कि सरकार बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति और इसे दूर करने की योजना पर एक रिपोर्ट पेश करे, और रोजगार गारंटी कानून को विकसित लाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे। 2019 में हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) पर रोक, विधवाओं के लिए कानून और आरक्षण के लाभों को लागू करने के नए तरीकों पर गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

पहल	नोटिस की अवधि	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
संकल्प (नियम 154)	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नोटिस बैलेट की तारीख से 2 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए	संकल्प गैर सरकारी सदस्यों या मंत्रियों द्वारा उठाए जा सकते हैं	बैलेट

वैधानिक संकल्प

सदस्य और मंत्री संविधान या संसद के एक कानून के कुछ प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। जैसे कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 में केंद्र सरकार को एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से वस्तुओं पर लगाए गए आयात शुल्क को बढ़ाने की अनुमति है जिसे बाद में संसद द्वारा

अनुमोदित किया जाता है। एलपीजी पर आयात शुल्क बढ़ाने से संबंधित ऐसा वैधानिक प्रस्ताव 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा द्वारा मंजूर गया था। इस पहल का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का विरोध करने के लिए भी किया गया है। अगर इसे मंजूर किया जाता है तो अध्यादेश लैप्स हो जाता है।

उदाहरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को नामंजूर करने वाले एक वैधानिक प्रस्ताव पर अगस्त 2023 में चर्चा की गई। इसके साथ इस अध्यादेश का स्थान लेने वाले बिल पर भी चर्चा की गई। प्रस्ताव पर मतदान हुआ और इसे अस्वीकार कर दिया गया।

कुछ पहल ऐसी भी होती हैं जिनके माध्यम से सदन में लंबी बहस और चर्चा होती है। पार्टी नेतृत्व द्वारा इन बहसों में भागीदारी तय की जाती है। हम नीचे इन पर चर्चा कर रहे हैं।

नियम 176 के तहत अल्प अवधि की चर्चा

इस प्रावधान के तहत एक सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू कर सकता है। विषय और अवधि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय की जाती है। सांसद इस मामले को उठाता है, जिसके बाद अन्य सांसद इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। प्रभारी मंत्री चर्चा के अंत में उत्तर देते हैं। कुछ प्रस्तावों और संकल्पों के विपरीत, इस प्रक्रिया में औपचारिक मतदान नहीं होता है।

उदाहरण: इस पहल के तहत 2023 में ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभावों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, सौर और पवन जैसी अक्षय ऊर्जा के दोहन के महत्व और वनों के महत्व पर सवाल उठाए। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, मूल्य वृद्धि और अर्थव्यवस्था की स्थिति जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी अल्प अवधि की चर्चा की गई।

पहल	नोटिस की अवधि	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
अल्प अवधि की चर्चा (नियम 176)	सत्र के लिए सम्मन जारी करने की तारीख से नोटिस मंजूर	नोटिस में इसे पेश करने के कारण संलग्न होने चाहिए। नोटिस को कम से कम दो अन्य सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए	सभापति नोटिस स्वीकार करते हैं; बीएसी समय आवंटित करती है

नियम 167 के तहत प्रस्ताव

इस नियम के तहत मुद्दों को उठाने की प्रक्रिया नियम 176 के समान है। हालांकि एक अंतर है- इस नियम के तहत मुद्दों को एक प्रस्ताव के रूप में उठाया जाता है। मंत्री के उत्तर देने के बाद सदन प्रस्ताव पर मतदान करता है।

अनियत दिन वाले प्रस्ताव (नो-डेट-येट-नेम्ड मोशंस)

अगर सभापति इस नियम के तहत प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं लेकिन चर्चा के लिए तारीख निर्दिष्ट नहीं की जाती है तो इसे बुलेटिन II में 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' के शीर्षक के साथ अधिसूचित किया जाता है।

पहल	नोटिस की अवधि	चयन प्रक्रिया
जनहित के मामलों पर प्रस्ताव (नियम 167)	महासचिव को लिखित में नोटिस दिया जाता है	सभापति नोटिस स्वीकार करते हैं; बीएसी समय आवंटित करती है

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

संविधान में प्रावधान है कि आम चुनाव के बाद संसद संचालित होने पर, और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, और इसमें वर्ष के लिए व्यापक नीतिगत योजनाएं और विधायी एजेंडा शामिल होता है। अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और अंत में प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं।

जबकि इस बहस में पार्टी द्वारा भागीदारी तय की जाती है, व्यक्तिगत सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकते हैं, जिस पर मतदान होता है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन को सरकार के खिलाफ अविश्वास मत माना जाता है। हालांकि राज्यसभा द्वारा पारित संशोधन सदन की अस्वीकृति का संकेत मात्र है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अब तक पांच संशोधन हो चुके हैं।

उदाहरण: राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यसभा ने आखिरी बार 2016 में संशोधन किया था। संशोधन में कहा गया था कि सदस्यों को खेद है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने के अधिकार को सुरक्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया गया है।

2015 में प्रस्ताव में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि सरकार उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और काले धन को वापस लाने में अपनी असफलता पर ध्यान नहीं दे रही है।

पहल	नोटिस की अवधि	चयन प्रक्रिया
धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन (नियम 16)	राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पेश किया जा सकता है	सभापति के विवेकाधीन

बिल पारित करना

कानूनों पर चर्चा और उन्हें पारित करना

संसद विभिन्न जटिल विषयों पर कानून बनाती है। सदस्यों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेकर कानून की रूपरेखा तैयार करने का अवसर मिलता है। वे सदन में पेश किए गए बिल्स पर अपनी राय पेश करके, बिल्स में संशोधन पेश करके या संसदीय समितियों में बिल्स पर विचार-विमर्श करके इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सदस्य उन विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के बिल भी पेश कर सकते हैं जिनके लिए उनका मानना है कि रेगुलेशन की जरूरत है या मौजूदा कानूनी ढांचे को बदलना है। सरकारी बिल पर बहस में भागीदारी पार्टी नेतृत्व द्वारा तय की जाती है। इस खंड में कानून निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

विधि निर्माण

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद एक बिल, एक एक्ट बन जाता है। सरकारी बिल मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं और जो व्यक्तिगत सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं, उन्हें गैर सरकारी सदस्यों के बिल कहा जाता है। संसद संविधान की संघ सूची (जैसे रक्षा या रेलवे) और समवर्ती सूची (जैसे आपराधिक प्रक्रिया, वन या सामाजिक सुरक्षा) के तहत आने वाले विषयों पर कानून पारित कर सकती है। सरकारी बिल और गैर सरकारी सदस्यों के बिल, दोनों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया एक समान है। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों के बिल संसद द्वारा शायद ही कभी पारित किए जाते हैं (अब तक केवल 14)।

तालिका 1: संसद में बिल्स के प्रकार

बिल के प्रकार	विषय	प्रस्तुत	पारित
सामान्य बिल	संघ और समवर्ती सूची के तहत कोई भी विषय	किसी भी सदन में	प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत
संविधान संशोधन बिल	संविधान में संशोधन	किसी भी सदन में	कुल सदस्यता का साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों का दो-तिहाई बहुमत। कुछ बिल्स को देश की आधी राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है
मनी बिल	इसमें कराधान, उधारियां, सरकारी फंडिंग, भारत की समेकित या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या उससे निकालना शामिल है	सिर्फ लोकसभा में	लोकसभा में साधारण बहुमत। राज्यसभा बदलावों का सुझाव दे सकती है लेकिन लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे पारित माना जाएगा

विधि निर्माण की प्रक्रिया

रेखाचित्र 2:कानून को लागू करने के चरण

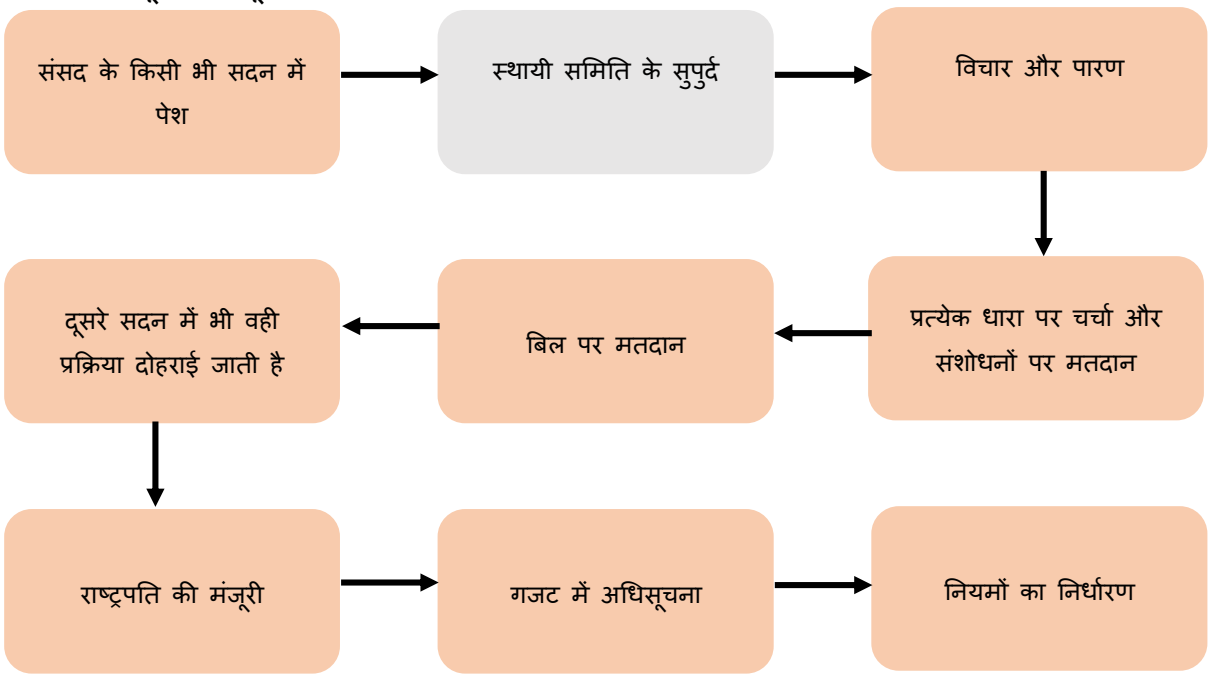

नोट: सभी बिल समितियों को नहीं भेजे जाते।

बिल का सर्कुलेशन

बिल को सदन में पेश करने के कम से कम दो दिन पहले सांसदों के बीच वितरित किया जाता है। हालांकि सभापति इस आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2024 को जिस दिन पेश किया गया, उसी दिन उस पर चर्चा की गई, और अगले ही दिन उसे पारित कर दिया गया।

बिल को पेश करना

मंत्री सदन में बिल को पेश करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। संसद में बिल को पेश करने को उसका 'प्रथम वाचन' (फर्स्ट रीडिंग) कहा जाता है।

बिल को पेश करने के समय पहल: सांसद बिल को पेश करते समय इस आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि बिल संसद की विधायी क्षमता से बाहर है या संविधान का उल्लंघन करता है। अगर बिल पेश होने पर उसका विरोध होता है तो सभापति विरोध करने वाले सांसद और बिल के प्रभारी मंत्री को संक्षिप्त बयान देने की अनुमति दे सकते हैं। अगर विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि बिल ऐसे विषयों से संबंधित है जो संसद के दायरे से बाहर के हैं तो सभापति बिल पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। तब, बिल को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान होता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बिल पेश कर दिया जाता है।

उदाहरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल, 2023 को पेश करने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह राज्य विषय के तहत आने वाले मामले पर कानून बनाने का प्रयास करके, संविधान का उल्लंघन करता है। हालांकि बिल की प्रस्तुति का विरोध करने वाला प्रस्ताव नामंजूर हो गया और बिल पेश कर दिया गया।

बिल्स को समितियों के पास भेजना

बिल पेश होने के बाद इस पर चर्चा की जा सकती है या उसे व्यापक समीक्षा के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से उस मंत्री द्वारा रखे जाते हैं, जिसने बिल को पेश किया है। हालांकि अगर बिल पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो सदस्य इस प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकते हैं कि बिल को समिति के पास भेजा जाए।

इस स्थिति में बिल पर तब तक चर्चा नहीं होती, जब तक कि समिति अपनी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं कर देती। समिति की रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद संबंधित मंत्रालय समिति के सुझावों के आधार पर उपयुक्त संशोधन पेश कर सकता है। कुछ मामलों में बिल को वापस लिया जा सकता है या उसके स्थान पर एक बिल्कुल नया बिल लाया जा सकता है।

उदाहरण: जैव विविधता (संशोधन) बिल, 2021 को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रस्तावित बिल में प्राकृतिक वास के संरक्षण को जैव विविधता प्रबंधन समिति के उद्देश्यों की सूची से हटा दिया गया है और इस बदलाव के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि जलाशयों में सजीव वस्तुओं के संरक्षण को इस सूची में जोड़ा जाना चाहिए। इन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और संसद द्वारा पारित बिल में शामिल कर लिया गया।

सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019 को जुलाई 2019 में लोकसभा में पेश किया गया और अगले महीने यह पारित हो गया। नवंबर 2019 में राज्यसभा ने बिल की समीक्षा के लिए एक प्रवर समिति बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया। समिति ने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राज्यसभा और लोकसभा ने दिसंबर 2021 में बिल को पारित कर दिया।

पहल	नोटिस की अवधि	आवश्यकता
बिल पर विचार के प्रस्ताव में संशोधन (कि बिल को समिति की समीक्षा के लिए भेजा जाए) (नियम 69)	एक दिन	समिति के प्रस्तावित सदस्यों के नाम एवं उनकी सहमति जरूरी

बिल पर चर्चा

एक बार जब बिल पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बिल पर सामान्य चर्चा शुरू हो जाती है। सदन में विभिन्न दलों की संख्या के आधार पर इस बहस के लिए समय आवंटित किया जाता है। पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कौन से सांसद आवंटित समय के भीतर बोलेंगे। सदस्य इस चर्चा का उपयोग बिल के सामान्य सिद्धांतों या उन खंडों के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं, जिनसे वे सहमत या असहमत हैं।

सामान्य चर्चा के बाद बिल पर खंड-दर-खंड चर्चा होती है। इस स्तर पर सांसद और प्रभारी मंत्री, दोनों बिल में संशोधन पेश कर सकते हैं। इन संशोधनों को एक दिन के नोटिस के साथ दाखिल करना होता है, और चर्चा से पहले सर्कुलेट किया जाता है। फिर इन पर मतदान होता है। अगर इन संशोधनों को अधिकतर सांसदों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो बिल में वे संशोधन कर दिए जाते हैं। इस चरण को 'दूसरा वाचन' (सेकेंड रीडिंग) कहा जाता है।

बिल पर चर्चा के लिए तैयारी

- क्या बिल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है?
- बिल के नीतिगत उद्देश्य क्या हैं और क्या वे वांछनीय हैं?
- बिल के उद्देश्यों को देखते हुए, क्या यह उन्हें प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है?
- यह बिल समाज के विभिन्न वर्गों को कैसे प्रभावित करता है?
- अगर बिल रेगुलेटरी निकाय या अन्य प्राधिकरण की स्थापना कर रहा है तो क्या ये निकाय सभी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
- क्या बिल का राज्यों या केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा?
- अगर बिल किसी अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान करता है, तो क्या यह सज़ा उचित और आनुपातिक है?
- वर्तमान रेगुलेटरी ढांचे पर बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह देश में किसी अन्य मौजूदा कानूनों का खंडन करता है?
- क्या परिभाषाओं में कोई अस्पष्टता है जो बाद में खामियां पैदा कर सकती है?
- बिल के कार्यान्वयन के बारे में कितना विवरण नियमों पर छोड़ा गया है?

बिल पर मतदान

चर्चा के बाद मंत्री बिल को पारित करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। यह बिल का तृतीय वाचन (थर्ड रीडिंग) कहलाता है। किसी साधारण बिल को कानून बनने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा मनी बिल्स पर सिर्फ सुझाव दे सकती है।

दूसरे सदन में प्रक्रिया

एक बार जब कोई बिल पहले सदन में पारित हो जाता है, तो इसे विचार और पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां उपरोक्त के समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

राष्ट्रपति की सहमति

एक बार जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो उसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही बिल एक एक्ट बन जाता है।

प्रक्रिया का अपवाद

- **दूसरा सदन बिल में संशोधन करता है:** अगर राज्यसभा में पारित बिल लोकसभा द्वारा संशोधित किया जाता है तो उसे राज्यसभा में फिर से पारित किया जाना जाहिए। इसके बाद वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
- **दोनों सदन बिल पर सहमत नहीं होते:** अगर बिल एक सदन में पारित हो जाता है और दूसरे में नामंजूर हो जाता है या अगर दोनों सदन बिल पर संशोधनों पर सहमत नहीं होते तो राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाकर एक संयुक्त बैठक में मतदान करा सकते हैं। ऐसा तीन बार हो चुका है।
- **राष्ट्रपति बिल को वापस भेज देते हैं:** मनी बिल और संविधान संशोधन बिल्स को छोड़कर, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी बिल को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। अगर संसद बिल को पारित कर देती है, मूल रूप में या संशोधित रूप में, और उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी होती है।
- **मनी बिल:** इन्हें सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इन बिल्स में बदलाव का सिर्फ सुझाव दे सकती है। इन बिल्स को 14 दिनों के भीतर परित करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल को पारित मान लिया जाता है। लोकसभा में मनी बिल पर नामंजूरी सरकार पर अविश्वास का संकेत होता है।
- **संविधान संशोधन बिल:** ऐसे बिल्स को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। कुछ बिल्स को देश की आधी राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अध्यादेश

संविधान राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। हालांकि उन्हें संसद के अगले सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे लैप्स हो जाते हैं। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल (2019-2024) के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि वस्तुओं की मार्केटिंग और ट्रिब्यूनल सुधार सहित विभिन्न विषयों पर 29 अध्यादेश जारी किए गए।

अध्यादेशों का विरोध: किसी अध्यादेश के प्रावधानों को कानून में स्थायी बनाने के लिए उसके स्थान पर एक बिल लाया जा सकता है। कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा को अस्वीकार करते हुए एक वैधानिक संकल्प पेश कर सकता है। अगर दोनों सदन ऐसे प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश लैप्स हो जाता है।

अधीनस्थ विधान

बिल नीति के लिए एक बड़ा कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताते। ये विवरण अधीनस्थ विधान के रूप में कार्यपालिका को सौंपे जाते हैं। इनमें नियम, रेगुलेशंस, आदेश, योजनाएं और उपनियम शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तैयार और अधिसूचित किया जाता है और सदन में पेश किया जाता है।

अधीनस्थ विधानों की समीक्षा

नियमों को सदन में पेश किए जाने के बाद सांसद उन्हें रद्द करने या संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव एक सदन में स्वीकृत हो जाता है तो इसे मंजूरी के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगर दोनों सदन नियमों में संशोधन या उसे निरस्त करते हैं, तो उन्हें तदनुसार संशोधित किया जाता है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नियमों, रेगुलेशंस, आदेशों और अधीनस्थ विधान के अन्य हिस्सों की भी समीक्षा करती है और रिपोर्ट देती है।

पहल	नोटिस की अवधि	आवश्यकताएं	चयन प्रक्रिया
नियमों में संशोधन/बदलाव	दस्तावेज सदन में रखने की तारीख से 30 दिन बीत जाने के बाद (इन दिनों के लिए सिर्फ सत्र के दिनों को गिना जाता है)	दस्तावेज सदन पटल पर 30 दिन रखे जाते हैं (इन दिनों के लिए सिर्फ सत्र के दिनों को गिना जाता है)	सदन के नेता की सलाह से सभापति द्वारा

गैर सरकारी सदस्यों के बिल

गैर सरकारी सदस्यों के बिल (पीएमबी) ऐसे बिल होते हैं जो संसद में उन सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं जो मंत्री नहीं हैं। लोकसभा में हर दूसरे शुक्रवार को बैठक के आखिरी ढाई घंटे पीएमबी पर चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए आवंटित किए जाते हैं।

पीएमबी का उपयोग सांसदों द्वारा सरकारी बिल्स में कमियों को उजागर करने, राष्ट्रीय हित के मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और सदन में जनता की राय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। पीएमबी को पारित करने की प्रक्रिया सरकारी बिल के समान है।

उदाहरण: 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के 705 बिल पेश किए गए। ये बिल गृह मामलों, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई विषयों से संबंधित थे।

स्वास्थ्य का अधिकार बिल, 2021 एक गैर सरकारी सदस्य का बिल था और अगस्त 2022 में संसद में इस पर चर्चा की गई थी। बिल में प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी। बिल में निर्दिष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता किसी भी व्यक्ति को इलाज से इनकार न करें। बिल पर चार घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई और बाद में इसे वापस ले लिया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार बिल, 2014 को दिसंबर 2014 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे 2015 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। जबकि यह बिल लोकसभा में लैप्स हो गया, सरकार ने इस मुद्दे पर एक नया बिल पेश किया, जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

पहल	नोटिस की अवधि	सीमा	विशिष्ट विवरण	चयन प्रक्रिया
गैर सरकारी सदस्यों के बिल (नियम 62)	एक महीना	सत्र के दौरान तीन बिल तक	नोटिस के साथ बिल की प्रति और उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण पर व्याख्यात्मक नोट संलग्न होना चाहिए	बैलेट

वित्तीय निगरानी

सरकारी धनराशि के व्यय की जांच

सरकारी धन खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया हर साल केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के साथ शुरू होती है जो प्राप्तियों और व्यय का वित्तीय विवरण प्रदान करती है। लोकसभा सांसदों से अलग, बजट की समीक्षा में राज्यसभा सांसदों की भूमिका सीमित होती है।

यह खंड बजट प्रक्रिया, बजट दस्तावेजों और उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करता है जिनसे सांसद बजट पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। बजट प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा के लिए कृपया "सरकारी धनराशि की निगरानी" पर पीआरएस प्राइमर देखें।

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट हर साल फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। चुनावी वर्ष के दौरान यह समय भिन्न हो सकता है। बजट पेश करते समय, मंत्री द्वारा व्यापक तौर से कराधान, उधार और व्यय के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावों के विवरणों की रूपरेखा तैयार की जाती है।

रेखाचित्र 3: बजट सत्र की अवधि

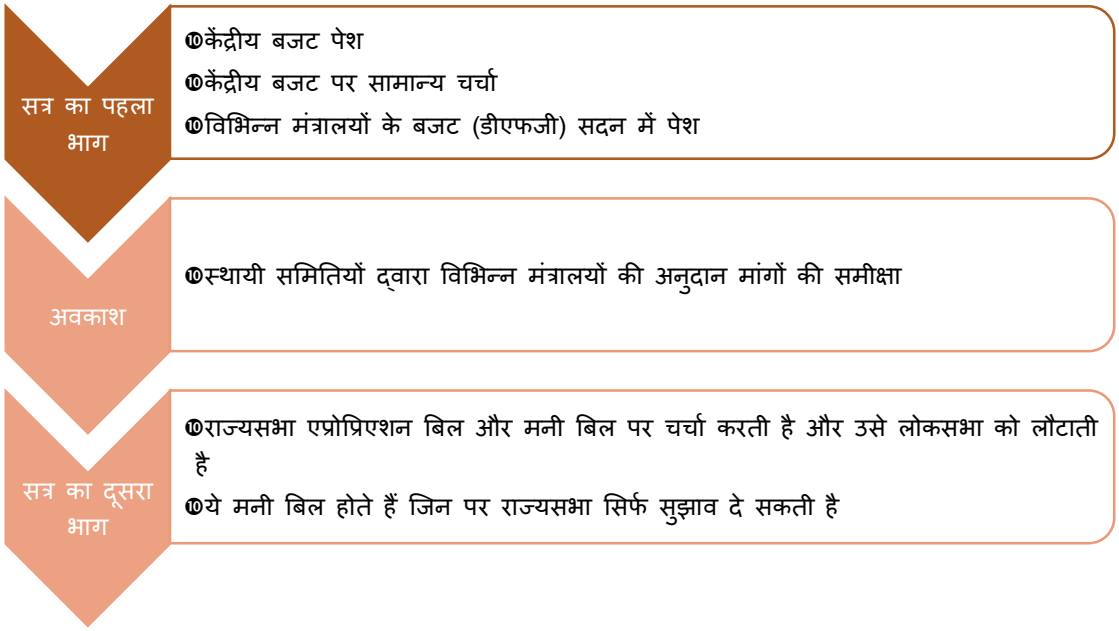

बजट प्रक्रिया

सामान्य चर्चा: बजट पेश होने के बाद उस सामान्य चर्चा होती है। राज्यसभा सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते हैं और पेश किए गए बजट या अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़े व्यापक मुद्दे उठा सकते हैं। इस सामान्य चर्चा में भागीदारी का निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा किया जाता है।

बजट पर सामान्य चर्चा के समापन के बाद संसद में लगभग तीन सप्ताह का अवकाश होता है। इस दौरान विभागीय स्थायी समितियां मंत्रालयों के प्रस्तावित व्यय की समीक्षा करती हैं जिन्हें अनुदान

मांग (डीएफजी) कहा जाता है। संसद सत्र के दोबारा शुरू होने पर ये समितियां प्रत्येक डीएफजी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। राज्यसभा सांसद समिति के सदस्य के तौर पर कुछ मंत्रालयों के बजट की अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं।

मंत्रालयी व्यय को एप्रोप्रिएशन बिल में सम्मिलित किया जाता है। सरकार के कर प्रस्तावों को मनी बिल के जरिए लागू किया जाता है। लोकसभा इन बिल्स पर मतदान करती है, जो फिर राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा इन बिल्स पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इन्हें पारित करने में उसकी भूमिका सिर्फ अनुशंसात्मक (रिकमेंडरी) होती है, क्योंकि ये मनी बिल होते हैं। अगर राज्यसभा इन बिल्स को 14 दिनों के भीतर पारित नहीं करती है, तो उन्हें संसद द्वारा पारित मान लिया जाता है।

उदाहरण: सदस्यों ने विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर चर्चा की है। इस दौरान सदस्यों ने पीएम-किसान, मनरेगा जैसी योजनाओं हेतु धनराशि आवंटन के अभाव का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि राज्यों में परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय को बढ़ाया जाए।

बजट के मुख्य दस्तावेज

केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने के दौरान, जिन अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाता है, वे निम्नलिखित हैं:

- **वार्षिक वित्तीय विवरण**: इसमें मौजूदा वर्ष, पिछले वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय और प्राप्तियों का लेखा प्रस्तुत किया जाता है।
- **बजट का सार**: प्रमुख प्रस्तावों और आंकड़ों को दर्शाने के लिए बजट का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है।
- **व्यय बजट**: प्रत्येक मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के व्यय का विवरण देता है।
- **प्राप्ति बजट**: सरकार के कर और गैर कर स्रोतों से आय का विवरण देता है।
- **फाइनांस बिल**: देश के मौजूदा कर कानूनों में किसी बदलाव का विवरण देता है।
- **व्याख्यात्मक ज्ञापन**: फाइनांस बिल में कर कानूनों में प्रस्तावित विभिन्न बदलावों के प्रभावों को स्पष्ट करता है।
- **मध्यावधि का राजकोषीय रणनीति दस्तावेज़**: यह दस्तावेज़ ऋण और घाटे को कम करने के लिए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालता है और कुछ राजकोषीय संकेतकों, जैसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 के अनुसार घाटा, राजस्व, ऋण के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करता है।

लेखानुदान

चुनावी वर्ष के दौरान, या जब भी यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बजट को सदन द्वारा पारित होने में अधिक समय लग सकता है, अनुमानित व्यय के उपयुक्त अनुपात के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी जाती है। इससे पूर्ण बजट पारित होने तक मंत्रालयों का खर्च चालू रहता है। फरवरी 2024 में लेखानुदान पारित किया गया और नई लोकसभा के गठन के बाद जुलाई-अगस्त 2024 में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।

संसदीय समितियों में भागीदारी

संसदीय समितियां

संसद का कार्य जटिल और विविध है। इसमें कई प्रकार के विषय शामिल होते हैं जो अक्सर विशिष्ट और सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं। सत्र के दौरान उपलब्ध सीमित समय के कारण, सदस्य सदन में सभी विषयों की विस्तार से समीक्षा नहीं कर सकते हैं। संसद के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संसदीय समितियों में संपन्न किया जाता है।

समितियां प्रस्तावित बिल्स की समीक्षा करती हैं, विशिष्ट विषयों का पता लगाती हैं, सरकारी कार्यों की निगरानी करती हैं और सरकारी खर्च की समीक्षा करती हैं। वह सलाह देती हैं, समीक्षा करती हैं और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। समितियां सदन में जो रिपोर्ट पेश करती हैं, उनसे जानकारीपूर्ण वाद-विवाद संभव होता है। समितियां विभिन्न पार्टियों के बीच आम सहमति कायम करने और स्वतंत्र विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ सलाह करने का मंच भी बनती हैं।

समितियों के प्रकार

संसदीय समितियां दो प्रकार की हो सकती हैं: (i) स्थायी समितियां (स्टैंडिंग कमिटीज़) जिनकी प्रकृति स्थायी होती है, या (ii) तदर्थ समितियां (एडहॉक कमिटीज़), जिनका गठन एक विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है।

स्थायी समितियां बिल्स की समीक्षा करती हैं, सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करती हैं और सार्वजनिक व्यय की निगरानी करती हैं। कुछ समितियों में दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं। अधिकांश स्थायी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है जिसके बाद अध्यक्ष एक नई समिति का गठन करते हैं।

किसी बिल की समीक्षा या राष्ट्रीय महत्व के मामले पर चर्चा के लिए तदर्थ समितियों का गठन किया जा सकता है। ये प्रवर समितियां (सिलेक्ट कमिटीज़) (सिर्फ एक सदन के सदस्यों वाली) या संयुक्त समितियां (ज्वाइंट कमिटीज़) (दोनों सदनों के सदस्यों वाली) हो सकती हैं।

तदर्थ समितियों के प्रकार: 2014 में राज्यसभा की एक प्रवर समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जीएसटी को पेश करने के लिए संवैधानिक संशोधन बिल की समीक्षा करना था। इस बिल में जीएसटी को लागू करने के कारण राजस्व हानि के मामले में राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार को यह क्षतिपूर्ति पांच वर्षों तक करनी थी। प्रवर समिति ने सुझाव दिया कि राज्यों की अपने कर बढ़ाने की क्षमता समाप्त हो रही है, इसे देखते हुए सभी पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। इससे केंद्र सरकार और राज्यों के बीच अविश्वास कम होगा। राज्यसभा ने बिल में संशोधन किए और 2016 में इसे पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे पांच दिन बाद पारित कर दिया।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियां (स्टैंडिंग कमिटीज़)

विभाग संबंधी स्थायी समितियों (डीआरएससीज़) की संख्या 24 है। ये समितियां: (i) उन्हें भेजे गए बिल्स, (ii) मंत्रालय-वार बजट, और (iii) उनके द्वारा चुने गए क्षेत्र-विशिष्ट विषय की समीक्षा करती हैं। सदस्य समिति अध्यक्ष को समीक्षा के लिए विषय सुझा सकते हैं।

बिल्स की समीक्षा: समितियां भेजे गए बिल्स की समीक्षा करती हैं, और सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। किसी बिल पर समिति के सुझावों के आधार पर सरकार या कोई अन्य सांसद बिल में संशोधन पेश कर सकता है। सदस्य सदन में बिल पर बेहतर जानकारीपूर्ण वाद-विवाद के लिए डीआरएससी के सुझावों का भी उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण: मोटर वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन करने वाला एक बिल 2016 में पेश किया गया था, और इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। 1988 का एक्ट वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा का प्रावधान करता है, और निर्दिष्ट करता है कि थर्ड-पार्टी बीमाकर्ता का दायित्व असीमित है। 2016 के बिल ने थर्ड पार्टी के बीमाकर्ताओं की अधिकतम देनदारी को सीमित कर दिया। स्थायी समिति ने कहा कि अगर अदालतें निर्धारित सीमा से अधिक मुआवजा देने का निर्देश देती हैं, तो वाहन मालिकों को शेष राशि थर्ड पार्टी को चुकानी पड़ेगी और वे असीमित जोखिम के खतरे में रहेंगे। समिति ने देनदारी की सीमा हटाने का सुझाव दिया। 2016 का बिल, 2019 में लोकसभा के भंग होने पर लैप्स हो गया। हालांकि एक ऐसा ही बिल 2019 में पेश और पारित किया गया जिसमें थर्ड पार्टी बीमा पर कोई सीमा नहीं लगाई गई थी।

अनुदान मांगों की समीक्षा: डीआरएससी विभिन्न मंत्रालयों के व्यय बजट की समीक्षा करती हैं। वे प्रत्येक मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि की समीक्षा करती हैं, और इस धनराशि के उपयोग की प्रवृत्तियों पर नजर डालती हैं। समितियों के सुझावों से सांसदों को आवंटन के प्रभावों को समझने में मदद मिलती है और वे जानकारीपूर्ण वाद-विवाद कर पाते हैं।

मुद्दों की समीक्षा: समितियों में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की भी विस्तृत समीक्षा की जाती है। वे बाहरी विशेषज्ञों के परामर्श से, क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों, या संबंधित मंत्रालय की नीतियों या योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी विषयों का चयन कर सकती हैं।

उदाहरण: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन के विकास और वितरण की जांच की। समिति ने महामारी के संबंध में भारत की पहल में कई कमियां पाईं, जैसे: (i) कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, (ii) शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की निम्न दर, और (iii) दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति का कुप्रबंधन। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार भविष्य की आपात स्थितियों के लिए खरीद योजना की रणनीति को मजबूत करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता ले। उसने वैक्सीन उत्पादन में योगदान देने के लिए कम उपयोग वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पुनर्जीवित करने का भी सुझाव दिया।

अन्य स्थायी समितियां

विशेषाधिकार समिति (कमिटी ऑफ प्रिविलिजेस): सांसदों को मिले कुछ अधिकारों, विशेषाधिकारों और छूट के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों की जांच करती है।

नैतिकता समिति (कमिटी ऑन एथिक्स): सांसदों के नैतिक आचरण से संबंधित मामलों की जांच करती है।

अधीनस्थ विधान समिति (कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिसलेशन): सदन के पटल पर रखे गए नियमों, रेगुलेशंस, आदेशों, उपनियमों आदि की जांच करती है।

सरकारी आश्वासन संबंधी समिति (कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस): किसी प्रश्न के उत्तर या चर्चा के दौरान मंत्री सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी दी जाएगी। इस तरह के आश्वासन में किसी मामले पर विचार करना, कार्रवाई करना या सदन को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना शामिल हो सकता है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और उसकी रिपोर्ट देती है।

याचिका समिति (कमिटी ऑन पेटीशंस)**:** यह समिति, उसे भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है और याचिका में की गई शिकायत के समाधान के लिए उपाय सुझाती है।

सदन के दिन प्रति दिन के कामकाज से संबंधित समितियां

कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमिटी)**:** सदन में विभिन्न सरकारी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटित करती है। राज्यसभा के सभापति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और संसदीय कार्य मंत्री को हमेशा समिति में नामित किया जाता है। पांच या अधिक सांसदों वाली पार्टियों के नेता या प्रतिनिधि, जिनका समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

नियम समिति (रूल्स कमिटी): राज्यसभा में कामकाज के संचालन की जांच करती है और कार्य प्रक्रिया के नियमों में संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देती है।

उपरिलिखित समितियों के अलावा अन्य समितियां भी हैं जो सांसदों को सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मामलों की जांच करती हैं जैसे सदन समिति और पुस्तकालय समिति।

समितियों में कामकाज

समिति में नियुक्तियां

कुछ समितियों के सदस्य, सदन द्वारा चुने जाते हैं और कुछ के सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित किया जाता है। सभापति समिति के सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार करते हैं कि सभी राजनैतिक दलों को सदन में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। समिति सदस्यों में से अध्यक्ष एक चेयरपर्सन की नियुक्ति करते हैं।

समिति की बैठक: सदन का सत्र चल रहा हो या नहीं, इसके बावजूद समितियों की बैठक होती रहती है। ये बैठकें गोपनीय होती हैं और बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं।

हितधारकों से परामर्श: समिति की बैठकों के दौरान सदस्य मंत्रालय के अधिकारियों, हितधारकों और विषय से जुड़े विशेषज्ञों को डेपोजिशंस के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मंत्रालय के अधिकारियों से विशिष्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आंकड़ों के लिए अनुरोध किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की पूर्व अनुमति से समिति अध्ययन दौरे भी कर सकती है।

उदाहरण: पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर संयुक्त समिति ने 37 दिनों के दौरान 63 बैठकों में चर्चा की। बिल पर जनता की राय मांगी गई और उद्योग संघों सहित 15 से अधिक हितधारकों ने समिति को साक्ष्य दिए।

समिति की रिपोर्ट

ड्राफ्ट रिपोर्ट को समिति के सदस्यों के बीच सर्कुलेट किया जाता है और फिर मंजूर किया जाता है। अगर सदस्य रिपोर्ट के निष्कर्षों से असहमत हैं तो वे असहमति का नोट दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है।

किसी समिति द्वारा किसी विषय पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपने के बाद मंत्रालय उसके सुझावों पर प्रतिक्रिया देता है। बजट और विशिष्ट विषयों से संबंधित रिपोर्ट्स पर समिति के सुझावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की जाती है। फिर समिति सदन में एक कार्रवाई रिपोर्ट (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) प्रस्तुत करती है।

तालिका 2: संसदीय समितियों के प्रकार

समिति	कार्य	सांसदों की संख्या	चेयरमैन का चुनाव/ नामांकन
विभागों से संबंधित स्थायी समितियां	बिल, नीतियों और मुद्दों तथा उनके विशिष्ट मंत्रालय के बजट की समीक्षा	21 लोस, 10 रास	अध्यक्ष और सभापति द्वारा
संयुक्त संसदीय समितियां (जेपीसी)	सार्वजनिक महत्व के मुद्दों या बिल की जांच के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य और अवधि के लिए अस्थायी जांच समितियां गठित की जाती हैं	अध्यक्ष और सभापति द्वारा निर्धारित	अध्यक्ष और सभापति द्वारा
लोक लेखा समिति (पीएसी)	सरकारी खर्च का विश्लेषण करती है और कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है	15 लोस, 7 रास	लोस और रास द्वारा निर्वाचित
सार्वजनिक उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के खातों और कैग रिपोर्ट्स का विश्लेषण करती है	15 लोस, 7 रास	लोस और रास द्वारा निर्वाचित
याचिका	बिल्स, सदन में लंबित कामकाज या जनहित के किसी मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करती है	10 रास	सभापति द्वारा नामांकित
सरकारी आश्वासन	संसद के पटल पर मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच करती है, और कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है	10 रास	सभापति द्वारा नामांकित
अधीनस्थ विधान	प्रत्यायोजित (डेलिगेटेड) कानून के तहत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए सभी नियमों और रेगुलेशंस की जांच करती है	15 रास	सभापति द्वारा नामांकित
कार्य मंत्रणा समिति	सदन में कामकाज के लिए समय आवंटित करती है	11 रास	रास के सभापति पदेन अध्यक्ष हैं
नियम	सदन की कार्य प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है और किसी भी संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देती है	16 रास	रास के सभापति पदेन अध्यक्ष हैं
विशेषाधिकार	विशेषाधिकार के प्रश्नों की जांच करती है और यह जांच करती है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तथा आवश्यक सुझाव देती है	10 रास	सभापति द्वारा नामांकित
नैतिकता	सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है, उससे संबंधित मामलों की जांच करती है	13 रास	सभापति द्वारा नामांकित
सदन समिति	सदस्यों के लिए आवास और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाओं से संबंधित है	10 रास	सभापति द्वारा नामांकित
सामान्य प्रयोजन	सदन से संबंधित मामलों- प्रक्रियात्मक, कार्यात्मक, औपचारिक मुद्दों पर सलाह देती है	33 रास	रास के सभापति पदेन अध्यक्ष हैं

तालिका 3: राज्यसभा में पहल

नियम संख्या	पहल	उद्देश्य	नोटिस की अवधि	विशिष्ट विवरण
39	प्रश्न काल	मंत्रालयों से प्रश्न पूछना	15 दिन	15 तारांकित प्रति बैठक (प्रति सांसद एक) 160 अतारांकित प्रति बैठक (प्रति सांसद पांच, अगर सभी अतारांकित)
58	अल्प सूचना प्रश्न	अल्प सूचना पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए	15 दिन से कम	मौखिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, नोटिस के साथ अल्प सूचना का कारण भी संलग्न होना चाहिए
60	आधे घंटे की चर्चा	आगे के प्रश्न या तारांकित या अतारांकित प्रश्न का उत्तर	तीन दिन	नोटिस के साथ इस चर्चा को शुरू करने का कारण भी संलग्न होना चाहिए
167	जनहित के मामले	तत्काल महत्व के ऐसे मामलों को उठाना जिन्हें अन्य नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता है	महासचिव को अग्रिम सूचना	सभापति सदन के नेता के परामर्श से इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन या समय आवंटित करते हैं
180	ध्यानाकर्षण	तत्काल महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना	बैठक के दिन सुबह 10:30 बजे से पहले, उसी हफ्ते के लिए वैध	प्रति बैठक एक (सदस्य प्रति बैठक दो नोटिस फाइल किए जा सकते हैं)
180ए	विशेष उल्लेख	तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाना	एक दिन पहले शाम 5 बजे से पहले, और एक सप्ताह के लिए वैध होगा	एक सदस्य प्रत्येक सप्ताह केवल एक विशेष उल्लेख कर सकता है, और सामान्यतः प्रत्येक दिन केवल 7 विशेष उल्लेख ही स्वीकार किए जाएंगे
154	संकल्प	सामान्य जनहित के किसी भी मामले पर सदन की राय से अवगत कराना	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नोटिस बैलेट की तारीख से 2 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए	संकल्प गैर सरकारी सदस्यों या मंत्रियों द्वारा उठाए जा सकते हैं

नियम संख्या	पहल	उद्देश्य	नोटिस की अवधि	विशिष्ट विवरण
176	अल्पावधि की चर्चा	तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर चर्चा शुरू करना	किसी सत्र के लिए सम्मन जारी होने की तारीख के बाद की तारीख से नोटिस स्वीकार किए जाते हैं	चर्चा 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, और कोई औपचारिक मतदान नहीं होगा इस चर्चा को उठाने के लिए कम से कम 2 सांसदों का समर्थन जरूरी है
67	बिल के प्रस्ताव का विरोध	विशिष्ट आधारों पर किसी बिल को पेश करने के प्रस्ताव का विरोध करना	-	सभापति बिल के प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य से स्पष्टीकरण वक्तव्य मांग सकते हैं
70	बिल के विचार के प्रस्ताव में संशोधन	विस्तृत समीक्षा के लिए बिल को समिति के पास भेजना	एक दिन	समिति के प्रस्तावित सदस्यों के नाम एवं उनकी सहमति आवश्यक
95	बिल में संशोधन	बिल के विशिष्ट खंडों में परिवर्तन का प्रस्ताव रखना	एक दिन	अगर सदन संशोधन पर काफी हद तक सहमत हो जाता है, या अगर बिल को अल्प सूचना पर पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, या बिल का प्रस्तावक (मूवर) राजी है, तो संशोधन के नोटिस को अस्वीकार किया जा सकता है
62	गैर सरकारी सदस्यों के बिल	उन सांसदों द्वारा पेश किए गए बिल जो मंत्री नहीं हैं	एक महीना	नोटिस के साथ बिल की प्रति और उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण पर व्याख्यात्मक नोट संलग्न होना चाहिए

स्रोत:

- राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम, राज्यसभा सचिवालय, नौवां संस्करण, 2016
- रूलिंग्स एंड ऑबजर्वेशंस फ्रॉम द चेयर (1952-2017), राज्यसभा, राज्यसभा सचिवालय, दिसंबर 2018
- संसदीय प्रक्रिया, सार श्रृंखला, राज्यसभा
- एम.एन. कौल और एस. एल. शकधर- प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सचिवालय, 7वां संस्करण, 2016
- आर पार्लियामेंट, सुभाष कश्यप, 2005

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च स्टडीज
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

टेलीफोन : (011) 2323 4801, 4343 4035

www.prsindia.org